फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिर्स्टड पता 102, कंचन अपार्टमेंट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर – 302004, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह — **प्रार्थी**

बनाम

1. तुलसी बाई उर्फ तुलछी बाई पत्नि स्व. श्री नन्द लाल तेली पता :– 11, स्टेण्ड के पास, राज्यावास, तहसील एवं जिला राजसमन्द – 313342 राज.।
(सहऋणी / विधिक उत्तराधिकारी)
2. धर्म दत्त तेली पुत्र श्री नन्द लाल तेली पताः– 11, स्टेण्ड के पास, राज्यावास, तहसील एवं जिला राजसमन्द – 313342 राज.।
3. लीला पत्नि श्री मुकेश तेली पुत्री स्व. श्री नन्द लाल तेली पताः– ग्राम एवं पोस्ट कांकरावा, तहसील भोपालसागर, जिला चित्तौड़गढ – 312204 राज.।
(विधिक उत्तराधिकारी)
4. लहरू लाल पुत्र श्री देवी लाल पताः– 95, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, राज्यावास, तहसील एवं जिला राजसमन्द – 313342, राज.। **(गारन्टर / अप्रार्थीगण)**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन **पत्रावली संख्या 06 / 2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.03.2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 29.01.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी कम्पनी को भारत के राजपत्र मे दिनांक 24.10.2018 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (ड) के उप खंड (4) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल किया गया। यह कि अप्रार्थी ने वित्तिय संस्था से जरिये खाता संख्या 70870, दिनांक 15 / 01 / 2018 को रूपये 5,00,000 / – रूपये शब्देन पॉच लाख रूपये का ऋण लिया था। उक्त ऋण की अदायगी नियमित किश्तो में करनी थी। मृतक नन्दलाल तेली ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पति को प्रार्थी के पास रहन किया	–

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

और उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। उक्त सम्पत्ति का विवरण नीचे वर्णित हैं। बंधक सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है:–

पत्ता:– आबादी भूमि खसरा नं. 2320/2 में स्थित बस स्टेण्ड के पास, ग्राम राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द– 313342 राजस्थान पर स्थित है। जिसका माप लगभग : 1862.6 वर्ग फिट है। जिसके पट्टा सं0 029 दिनांक 20.09.2012 हैं। जिसकी चतु: सीमाऐं :– पूर्व :– भैरूलाल का मकान, पश्चिम :–किशनलाल का मकान, उत्तर :– आम रास्ता, दक्षिण :– रास्ता। अप्रार्थी संख्या 01 के पति एवं अप्रार्थी संख्या – 2 तथा 3 के पिता नन्दलाल तेली का स्वर्गवास हो चुका हैं। प्रार्थी कम्पनी की जानकारी के अनुसार स्व. नन्दलाल तेली के विधिक उत्तराधिकारियों में तुलसी बाई उर्फ तुलछी बाई पत्नि स्व. श्री नन्दलाल तेली, धर्मदत्त तेली पुत्र स्व. श्री नन्दलाल तेली एवं लीला पुत्री स्व. श्री नन्दलाल तेली हैं। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर उक्त ऋण खाते को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया हैं। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 5,97,797/– रूपये शब्देन पांच लाख सत्यानवे हजार सात सौ सत्यानवे मात्र दिनांक 29.05.2019 तक शेष देय हैं व दिनांक 30.05.2019 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांकित 25/09/2019 अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्होंने देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया। अप्रार्थीगण ने धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी वित्तिय संस्था को नहीं किया है। इस उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तिय संस्था उक्त अनुसूचीं में वर्णित सिक्यूरिटी रहनबंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

दिनांक–16, अगस्त, 2016 को भारत का राजपत्र असाधारण भाग–।।–खण्ड– 1–संख्या–51 के तहत् वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 में संशोधन किए गए है, उक्त संशोधित एक्ट की धारा सेक्शन–12 जो कि निम्न प्रकार से है:–

Sec-12 In the principal Act, in secion 14, in sub-section (1),-

1. in the second proviso, after the words "secured assets", the words "within a period of thirty days from

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

the date of application" shall be inserted;
2. after the second proviso, the following proviso shall be inserted, manely:-
"Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days."

उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 3 मे वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर आदेश पारित करना हैं, यदि कोई आदेश 30 दिनों के अन्दर पारित नहीं किया जाता हैं तो विलम्ब के लिए कारण दर्ज करने के पश्चात आदेश 60 दिनों के अन्दर दिया जावेगा यह संशोधन भारत के राजपत्र में दिनांक 16.08.2016 को प्रकाशित किया गया हैं। शपथ–पत्र मे वर्णितानुसार इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 25.09.19 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांकः 25.10.2019 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरणः– पत्ताः– आबादी भूमि खसरा नं. 2320/2 में स्थित बस स्टेण्ड के पास, ग्राम राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द– 313342 राजस्थान पर स्थित है। जिसका माप लगभग : 1862.6 वर्ग फिट है। जिसके पट्टा सं0 029 दिनांक 20.09.2012 हैं। जिसकी चतुः सीमाऐं :– पूर्व :– भैरूलाल का मकान, पश्चिम :–किशनलाल का मकान, उत्तर :– आम रास्ता, दक्षिण :– रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)